

संख्या-1617/एक-10-2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26/10/2023

विषय:- पी० ए० सी० 17 बाढ़ कम्पनियों में उपलब्ध मोटर बोट्स व उपकरणों में से काफी संख्या निर्धारित अवधि पूर्ण होने व निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण उपकरणों की सम्पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से ₹0 6,12,14,900/- की वित्तीय स्वीकृत के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-उ० प्र० प्रको०-133-2023(पी० ए० सी०) दिनांक 09.09.2023 जो प्रमुख सचिव, गृह विभाग को संबोधित एवं राजस्व विभाग सहित अन्य को पृष्ठ ठांकित है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-18.09.2023 में लिए गए निर्णयानुसार पी० ए० सी० की बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से निम्न तालिका अ एवं ब में उल्लिखित उपकरणों के क्रयार्थ ₹0 6,12,14,900/- (₹0 छः करोड बारह लाख चौदह हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(अ) 17 बाढ़ राहत कम्पनियों में निष्प्रयोज्य घोषित मोटर बोट्स एवं उपकरण आदि की पूर्ति/क्रय का विवरण:-

क्र० सं	उपकरण का नाम	दर प्रति यूनिट	कुल व्ययभार (₹० में)
1	निष्प्रयोज्य घोषित 10 अदद फाइबर ग्लास मोटर बोट के स्थान पर नये बोट्स (10 सीटर) का क्रय	12,60,000/-	1,26,00,000/-
2	निष्प्रयोज्य घोषित 07 अदद ओबीएम इंजन के स्थान पर	3,56,000/-	24,92,000/-

	नये ओबीएम इंजन का क्रय		
3	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी बैट्रियों की कमी की सम्पूर्ति हेतु 12 बोल्ट की 161 अदद बैट्रियों का क्रय	18,000/-	28,98,000/-
4	17 बाढ़ राहत कम्पनियों के लिए 4590 अदद रेस्क्यू किट (टी-शर्ट, लोवर, शर्ट, वाटर प्रूफ सैण्डल, स्वीमिंग कैफ, स्वीमिंग गोगल्स, इयर प्लग, स्वीमिंग कास्टूम एवं किट बैग)	6,120/-	2,80,90,800/-
	योग		4,60,80,800/-

(ब) 17 बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु लाइफ ब्वॉय, लाइफ जैकेट एवं आदि का पूर्ति/क्रय का विवरण:-

क्र 0	उपकरण का नाम	दर प्रति यूनिट (रु० में)	कुल व्ययभार (रु० में)
1	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी लाइफ जैकेट की कमी सम्पूर्ति हेतु 318 अदद लाइफ जैकेट का क्रय	3,200/-	10,17,600/-
2	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी लाइफ ब्वाय की कमी सम्पूर्ति हेतु 10 अदद लाइफ ब्वाया का क्रय	3,000/-	30,000/-
3	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी नेट फिशिंग की कमी सम्पूर्ति हेतु 18 अदद नेट फिशिंग का क्रय	1,20,000 /-	21,60,000/-
4	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी टार्च फार हेड की कमी सम्पूर्ति हेतु 105 अदद टार्च फार हेड का क्रय	4,500/-	4,72,500/-
5	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी जरीकेन की कमी सम्पूर्ति हेतु 105 अदद जरीकेन का क्रय	2,800/-	2,94,000/-
6	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी वाटर प्रूफ टेन्ट की कमी सम्पूर्ति हेतु 93 अदद वाटर प्रूफ टेन्ट (14x10x7x28cm) का क्रय	1,20,000 /-	1,11,60,00 0/-
			1,51,34,10 0/-
			कुल योग रु० 6,12,14,900/-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) उपरोक्त दोनो तालिकाओं में उल्लिखित विवरण के अनुसार ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रहा उस मद में इस धनराशि का उपयोग

किया अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि संबंधित विभाग की प्राप्त नहीं हुई हा जायगा। गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना निधि से धनराशि संबंधित विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(3) वही उपकरण क्रय किये जायेंगे जो मानकों के अनुसार उपयुक्त एवं आवश्यक होंगे तथा उसकी उपादयता के संबंध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमादन प्राप्त कर लिया जायगा। उपकरण इस प्रकार के न हो, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहचान के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हो। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित प्रोक्योरमेंट मनुअल के अनुसार जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ए.एम.सी./सी.एम.सी. भी करायी जायेगी। ई-टेंडरिंग / जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020- NDM-1, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये रु0 6,12,14,900/- (रु0 छः करोड बारह लाख चौदह हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023 2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 26-10-2023

Reason: Approved सचिव।

संख्या:- 1617(1)/एक-10-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ० प्र०।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ० प्र० शासन।
- 3- अपर पुलिस, महानिदेशक, पी० ए० सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
- 5- सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, उ० प्र० लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।
- 8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/गृह पुलिस अनुभाग-16/7।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-18/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1617

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1617

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं

05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	61214900 61214900	61214900 61214900
	योग	वर्तमान प्रगामी	61214900 61214900	61214900 61214900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ बारह लाख चौदह हजार नौ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ बारह लाख चौदह हजार नौ सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन